राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3990/2017

बनवारी लाल गुप्ता पुत्र श्री शांति लाल गुप्ता, निवासी ग्राम व पोस्ट हाड़ौती, तहसील सपोटरा, जिला करौली।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने राज्य नोडल अधिकारी, मनोरोग केंद्र, सेठी कॉलोनी, जयपुर के माध्यम से।

4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से: श्री सुशील सोलंकी।
प्रतिवादी(ओं) की ओर से: सुश्री वंदना भंसाली, उप-जीसी।
श्री गौरव रांका।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

29/04/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ 22.11.2016 (अनुलग्नक 4) के एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार मनोरोग नर्स का मानदेय, जिस पद पर याचिकाकर्ता संविदा के आधार पर काम कर रहा था, 01.04.2016 से 40,000/- रुपये से घटाकर 25,000/- रुपये कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, याचिका में बताए गए मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 01.04.2015 से संविदा के आधार पर मनोरोग नर्स के पद पर नियुक्त किया गया था। 2.1 दिनांक 22.11.2016 के आदेश (अनुलग्नक 4) के अनुसार, उपरोक्त पद के लिए मानदेय 01.04.2016 से 40,000/- से घटाकर 25,000/- कर दिया गया था। उक्त आदेश में यह भी संकेत दिया गया था कि अतिरिक्त भुगतान के लिए वसूली भी की जा सकती है। इसलिए, यह याचिका।

3. रिट याचिका वर्ष 2017 में किसी समय दायर की गई थी और पर्याप्त अवसरों के बावजूद, कोई जवाब दायर नहीं किया गया है। इसलिए, याचिका में दिए गए कथन और आधार निर्विवाद रहे हैं। इतना ही नहीं, दिनांक 07.04.2017 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता के मासिक पारिश्रमिक में प्रस्तावित कटौती पर रोक लगा दी गई थी।

4. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 07.04.2017 के अंतरिम आदेश को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “स्वीकार करें।
>
> नोटिस जारी करें।
>
> स्थगन आवेदन का नोटिस जारी करें। इस बीच और अगले आदेशों तक, दिनांक 29.07.2016 और 22.11.2016 के आदेशों के अनुसार याचिकाकर्ता को किए गए कथित अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर रोक रहेगी।”

5. उपर्युक्त अंतरिम आदेश पारित होने के बाद भी मामला लंबित रहा और जब भी मामला उठाया गया, तब भी जवाब दाखिल करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तव में 05.02.2018 को शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया

गया था, जिसे अनुमति दी गई थी और मामले को 21.02.2018 को बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन किसी तरह, इसे सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सका। इस तथ्य के बावजूद कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन को अनुमति दी गई थी, प्रतिवादियों ने जानबूझकर जवाब दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना है।

6. किसी भी मामले में, मेरा मानना है कि याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की नियुक्ति एक वर्ष की छोटी अवधि के लिए 40,000/- रुपये प्रति माह के निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर हुई थी। याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर और उसकी शर्तों के साथ-साथ मासिक पारिश्रमिक से इनकार नहीं किया जाता है। केवल इसी आधार पर, याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और यहां दिए गए आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

7. अंत में, मैं यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता को यह सुनने का कोई अवसर प्रदान करके आक्षेपित आदेश पारित किया गया था कि मासिक पारिश्रमिक क्यों न कम किया जाए। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर भी आक्षेपित आदेश टिकने योग्य नहीं है।

8. इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता ने एक वर्ष की अपनी संविदा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और वह जीवन में बेहतर अवसरों की तलाश में बहुत पहले ही चला गया है।

9. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक लाभ का आनंद लिया है, इसे वापस लेना न्याय का उपहास होगा।

10. इस आधार पर, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। दिनांक 22.11.2016 (अनुलग्नक 5) का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

11. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।